बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0—9/आ0—02—08/2025(स्वा0)........................../ पटना, दिनांकः—...................

डॉ0 कुमार गौरव, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकबरपुर, नवादा के विरूद्ध सिविल सर्जन, भागलपुर के पत्रांक—4223 दिनाक—26.07.2024 द्वारा श्रावणी मेला में श्रद्वालुओ के चिकित्सा हेतु अस्थायी स्वास्थ्य शिविर में कार्य करने हेतु योगदान नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। डा0 गौरव के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन सं0—1389(9) दिनांक—31.12.2024 द्वारा आरोप—पत्र गठित कर स्पष्टीकरण की मॉग की गयी।

2. डॉ0 गौरव द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित कर अवगत कराया गया है कि वे दिनांक—18.07.2024 को रात्रि में घर पर फिसल गए, जिसके कारण उनके कमर एव पैर मे चोट आ गयी। वे दिनांक—19.07.2024 को PMCH, पटना मे ईलाज कराये। चिकित्सक द्वारा उन्हे दवा सेवन करते हुए आराम करने का परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य लाभ होने के उपरान्त में दिनाक—24.08.2024 से नियमित रूप से कर्त्तव्य पर उपस्थित है।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 गौरव के विरूद्ध गठित आरोप पत्र व प्रत्युत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरात पाया गया कि उनके द्वारा दिनाक—19.07.2024 को पी0एम0सी0एच0, पटना में ईलाज करवाया गया। वे अस्वस्थता के कारण दिनांक—24.08.2024 तक परिस्थितिजन्य स्थिति मे कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहे हैं। डॉ0 गौरव द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सीय साक्ष्य से उनके स्पष्टीकरण मे अकित तथ्य प्रमाणित होता है। फलत डॉ0 गौरव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का विनिश्चय किया गया।

4. अतएव डा0 गौरव, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकबरपुर, नवादा को श्रावणी मेला मे श्रद्वालुओ के चिकित्सा हेतु अस्थायी स्वास्थ्य शिविर में कार्य करने हेतु योगदान नही करने के आरोप मे विभागीय ज्ञापन स0—1389(9) दिनाक—31.12.2024 द्वारा गठित आरोप को सचिकारत करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है।

5. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/—
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः—9/आ0—02—08/2025(स्वा0) 667(9) **/पटना, दिनांकः—** 17.6.25

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नवादा/सबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, मगध प्रमडल, गया/सिविल सर्जन, नवादा/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डॉ0 कुमार गौरव, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकबरपुर, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/06/2025
सरकार के अवर सचिव।